वित्तीय वर्ष 2024–25 से 2025–26 के लिए चतुर्थ कृषि रोड मैप अन्तर्गत "नये कोल्ड स्टोरेज निर्माण, कार्यरत कोल्ड स्टोरेजों को सोलर पैनल की सुविधा एवं सोलर पैनल माइक्रो कूल चैम्बर" हेतु योजना का कार्यान्वयन अनुदेश

चतुर्थ कृषि रोड मैप अंतर्गत बागवानी विकास कार्यक्रमों के लिए राज्य स्कीम मद से नये कोल्ड स्टोरेज निर्माण, कार्यरत कोल्ड स्टोरेजों को सोलर पैनल की सुविधा एवं सोलर पैनल कुल चैम्बर हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 से 2025–26 तक कुल तीन वर्षों में 2800.00 लाख (अठाईस करोड़) रूपये मात्र की लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा इसके अधीन वित्तीय वर्ष 2023–24 में 1000.00 लाख (दस करोड़) रूपये मात्र की राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति, स्वीकृत्यादेश संख्या–पी0पी0एम0–167 दिनांक–30.01.2024 द्वारा प्राप्त है, जिसकी निकासी बिहार बागवानी विकास सोसाईटी के पी०एल०ए० खाते में कर ली गई है। इस योजना का क्रियान्वयन स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न अनुसूची–1, 2, 3 एवं 4 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024–25 से 2025–26 में की जायेगी।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य अन्तर्गत जिन जिलों में कोल्ड स्टोरेज की सुविधा प्राप्त नही है, वहाँ कोल्ड स्टोरेज की सुविधा उपलब्ध कराना, किसानों को सस्ते दर पर कोल्ड स्टोरेज की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चालू कोल्ड स्टोरेज के विद्युत व्यय की राशि कम करने के लिये सोलर उर्जा उपलब्ध कराना तथा सुदूर क्षेत्रों में कोल्ड स्टोरेज की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सोलर पैनल कूल चैम्बर की सुविधा विकसित कर कृषि उत्पाद के संरक्षण अवधि को बढ़ाना है।

इस योजनान्तर्गत तीन अवयव स्वीकृत है, जो कि निम्नवत हैः–

1. **नये कोल्ड स्टोरेज, टाईप–1 एवं टाईप–2 का निर्माण (Construction of New Cold Storage, Type-1 & Type-2)** :– राज्य अन्तर्गत 12 जिले ऐसे हैं, जहाँ कोल्ड स्टोरेज की सुविधा किसानों को प्राप्त नहीं है। इसे दृष्टिगत रखते हुए राज्य के 12 जिलों यथा–मधुबनी, नवादा, औरंगाबाद, बांका, सहरसा, जमुई, मुंगेर, जहानाबाद, लखीसराय, शेखपुरा, अरवल तथा शिवहर में नये कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जाना है।

   नये कोल्ड स्टोरेज टाईप–1 एवं टाईप–2 का इकाई लागत राष्ट्रीय बागवानी मिशन के सदृश्य क्रमशः 8,000.00 रूपये एवं 10,000.00 रूपये प्रति मैट्रिक टन है। टाईप–1 कोल्ड स्टोरेज की क्षमता अधिकतम 5000 मैट्रिक टन होगी, जबकि टाईप–2 कोल्ड स्टोरेज की क्षमता अधिकतम 2000 मैट्रिक टन होगी। टाईप–1 एवं टाईप–2 के अधीन जिलावार प्राप्त आवेदन पत्र वित्तीय सीमा के अधीन अन्तरपरिवर्तित किये जा सकेंगे।

   सहायतानुदान–उपर्युक्त जिलों में कोल्ड स्टोरेज निर्माण पर 50 प्रतिशत अर्थात टाईप–1 कोल्ड स्टोरेज के निर्माण हेतु अधिकतम 200.00 लाख (दो करोड़) रूपये एवं टाईप–2 कोल्ड स्टोरेज के निर्माण हेतु अधिकतम 100.00 लाख (एक करोड़) रूपये सहायतानुदान दिया जायेगा।

190

2. **कोल्ड स्टोरेज में सौर ऊर्जा की संस्थापना (Solarization of cold storage):** इस घटक के अन्तर्गत राज्य के वर्तमान में मौजूद कोल्ड स्टोरेजों में से 50 इकाई को सौर ऊर्जा के माध्यम से संचालन कराया जाएगा, ताकि विद्युत ऊर्जा पर निर्भरता कम की जा सके तथा किसानों को सस्ते दर पर भंडारण की सुविधा प्राप्त करायी जा सके।

   सहायतानुदान–इस अवयव अन्तर्गत राष्ट्रीय बागवानी मिशन के सदृश्य शत–प्रतिशत विपत्र की वास्तविक राशि अधिकतम 35.00 लाख (पैंतीस लाख) रूपये का 50 प्रतिशत अधिकतम 17.50 लाख (सत्रह लाख पचास हजार) रूपये प्रति कोल्ड स्टोरेज सहायतानुदान दिया जाएगा। इस घटक का लाभ लेने वाले कोल्ड स्टोरेज मालिकों से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त की जायेगी की वर्तमान दर से न्यूनतम 25 प्रतिशत कम दर पर कृषकों के उत्पाद को भंडारित किया जायेगा।

3. **Solar Panel Micro Cool Chamber:** राज्य के सुदूर क्षेत्रों में फल एवं सब्जियों के भंडारण की सुविधा उपलब्ध नही होने के कारण फल एवं सब्जियाँ बहुतायत मात्रा में खराब हो जाते हैं, जिस हेतु सौर उर्जा आधारित Solar Panel Micro Cool Chamber जिसकी क्षमता 10 मेट्रिक टन होगी, संस्थापित किये जायेंगे ताकि फल एवं सब्जियों की बर्बादी को कम किया जा सके। बिहार बागवानी विकास सोसाईटी द्वारा निविदा के माध्यम से Solar Panel Micro Cool Chamber स्थापित करने वाले इच्छुक कम्पनियों को चयनित कर सूचीबद्ध किया जायेगा। आवेदक अपनी इच्छानुसार सूचीबद्ध कम्पनी का चयन कर दिये गये कार्यादेश के आलोक में कार्य करायेंगे।

   सहायतानुदान–इस अवयव अन्तर्गत इकाई लागत 25.00 लाख (पच्चीस लाख रूपये) का 50 प्रतिशत अधिकतम 12.50 अनुदान दिया जायेगा।

<u>लाभुक चयन की पात्रता एवं प्रक्रियाः–</u>

1. लाभुक का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जायेगा।
2. इच्छुक कृषक/ उद्यमी/ कम्पनी/ फर्म विभागीय बेवसाईट horticulture.bihar.gov.in के पोस्ट हार्वेट मैनेजमेंट टैब पर जाकर निबंधन करना होगा, जिसके उपरांत आवेदक को लॉगिन आई. डी. एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। तत्पश्चात आवेदक को अपने लॉगिन से इस कार्यक्रम अन्तर्गत अवयवों का लाभ लेने हेतु वांछित सूचनाओं को भरते हुए आवेदन के साथ संबंधित कागजात (स्व अभिप्रमाणित करने के उपरांत) अपलोड करना अनिवार्य होगा।
3. प्राप्त आवेदन के आलोक में संबंधित जिले के सहायक निदेशक उद्यान द्वारा अपने विभागीय Login से एक सप्ताह के अन्दर स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन Upload किया जायेगा एवं आवेदन को मुख्यालय में अग्रसारित किया जायेगा।
4. प्राप्त आवेदन को मुख्यालय स्तर पर सभी संलग्न कागजातों के जाँचोपरान्त स्वीकृति हेतु State Level Executive Committee (SLEC) के समक्ष रखा जायेगा।

5. योजना का कार्यान्वयन राज्य स्तर से निदेशक उद्यान–सह–मिशन निदेशक के द्वारा SLEC के अनुमोदनोपरान्त निर्धारित समय–सीमा के अन्दर कराया जायेगा।
6. चयनित आवेदक द्वारा ऋण स्वीकृति की तिथि से 06 माह के अन्दर परियोजना पूर्ण करना अनिवार्य होगा। विशेष परिस्थिति में आवेदक के अनुरोध पर निदेशक उद्यान–सह–मिशन निदेशक द्वारा निर्माण कार्य के अवधि विस्तार पर विचार किया जा सकता है।

आवेदन के समय अपलोड किये जाने वाले कागजातः–

1. विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डी. पी.आर.)।
2. सिविल निर्माण का प्राक्कलन।
3. ले–आउट प्लान।
4. प्लांट/मशीनरीज का कोटेशन।
5. संबंधित वांछित एन. ओ. सी./शपथ पत्र।
6. बैंक द्वारा ऋण देने की सहमति पत्र/ऋण स्वीकृति पत्र एवं अन्य संबंधित कागजात।

अनुदान विमुक्ति की प्रक्रियाः–

1. अनुदान की प्रथम किस्त की राशि सिविल कार्य पूर्ण एवं मशीनरी के संस्थापन के बाद तथा द्वितीय किस्त की राशि परियोजना के व्यवसायिक रूप से प्रारम्भ होने के बाद पूर्व से गठित संयुक्त जाँच दल (JIT) के अनुशंसा के आलोक में देय होगा।
2. अनुदान विमुक्ति से पूर्व लाभूक द्वारा सभी आवश्यक कागजात यथा–प्लांट/मशीनरीज का अभिश्रव, कोल्ड स्टोरेज में सिविल निर्माण की स्थिति में चार्टर्ड अभियंता द्वारा निर्गत कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र इत्यादि उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
3. संयुक्त जाँच दल से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मिशन निदेशक द्वारा निर्धारित अनुदान की राशि CFMS प्रणाली के तहत लाभुक को क्रेडिट लिंक्ड बैक इण्डेड सब्सिडी के रूप में दिया जायेगा।

कार्य दायित्वः–

1. सहायक निदेश, उद्यान – जिला स्तर पर योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार करना एवं ससमय स्थल निरिक्षण प्रतिवेदन मुख्यालय अग्रसारित करना।
2. नोडल पदाधिकारी – योजना का समय–समय पर उचित माध्यम से समीक्षा करना एवं ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों को जाँचोपरान्त स्वीकृति हेतु State Level Executive Committee (SLEC) के समक्ष रखना।
3. निदेशक, उद्यान – मुख्यालय स्तर पर योजना का समीक्षा, पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण करना तथा योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु समय–समय पर आवश्यक निदेश एवं मार्गदर्शन प्रदान करना।

28/5/24

निदेशक उद्यान,
बिहार।